

UPET010084212025



न्यायालय: अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
{एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0)एक्ट}, एटा

उपस्थित: अशोक कुमार-XIII

H.J.S.

(J.O.I.D. NO: UP 2392)

व्यवहार प्रकीर्ण वाद : 240 सन् 2025

एस0डी0एस0शिक्षा समिति ग्राम फरीदपुर

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार व एक अन्य

.....प्रतिवादीगण

18.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर विपक्षी की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता (सिविल) उपस्थित हैं। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और ना ही आज कोई स्थगन दिया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत व्यवहार प्रकीर्ण वाद दिनांक 20.12.2025 को योजित की गयी और इस न्यायालय में माननीय जनपद न्यायाधीश, एटा के आदेश दिनांकित 13.01.2026 के अनुसार दिनांक 16.01.2026 को इस न्यायालय में अन्तरण द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रारम्भ दिनांक 22.02.2026 से ही आवेदक एवं विपक्षी अनुपस्थित रहे। उसके बाद दिनांक 09.03.2026, 04.04.2026, 28.04.2026, 13.05.2026 29.05.2026, 16.07.2026 एवं आज दिनांक 18.07.2026 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आज दिनांक 18.07.2026 को विपक्षी की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता(सिविल) उपस्थित हैं। आज बार-बार पुकार कराये जाने के बावजूद भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और ना ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया है। आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत मामले में अब आवेदक को आगे वाद चलाने में कोई रुचि नहीं रह गयी है। अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तुत व्यवहार प्रकीर्ण वाद आवेदक की अनुपस्थिति में एवं विपक्षी की उपस्थिति में खारिज होने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत व्यवहार प्रकीर्ण वाद आवेदक की अनुपस्थिति में एवं विपक्षी की उपस्थिति में खारिज की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार-XIII)

अपर जिला न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश {एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0)एक्ट},
एटा